NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 11-08-2026

विषय सूची

लोकसभा द्वारा न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पारित

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के संबंध में वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट

स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर दस्तावेज़

सरकार द्वारा SC/ST आरक्षण में आय-आधारित क्रीमी लेयर के प्रावधान का विरोध

गूगल के AI-जनित उपग्रह चित्रों से सुरक्षा संबंधी चिंताएँ

संक्षिप्त समाचार

RBI के नए ऋण वसूली नियम

सरकारी ई-मार्केटप्लेस के 10 वर्ष

राष्ट्रीय युवा संसद योजना वेब पोर्टल

मॉडिफाइड मिक्स सील सरफेसिंग प्लस (MSS+)

2026 डिराक पदक

लोकसभा द्वारा न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पारित

संदर्भ

- हाल ही में लोकसभा ने **न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026** पारित किया, जिसमें न्यायाधिकरणों में भर्ती, प्रशासन और कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए **राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC)** के गठन का प्रस्ताव किया गया है।

न्यायाधिकरण क्या हैं और सुधार क्यों महत्वपूर्ण हैं?

- न्यायाधिकरण अर्ध-न्यायिक निकाय हैं, जिन्हें विशिष्ट प्रकार के विवादों का निपटारा करने तथा नियमित न्यायालयों के कार्यभार को कम करने के लिए बनाया गया है।
- कराधान, कंपनी कानून, पारिस्थितिकी, सशस्त्र बलों तथा प्रशासनिक मामलों जैसे अनेक क्षेत्रों में न्यायाधिकरणों का व्यापक विस्तार हुआ है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि **'न्यायाधिकरणीकरण'** से शक्तियों के पृथक्करण, न्यायिक स्वतंत्रता और न्याय तक पहुँच के संवैधानिक सिद्धांतों से समझौता नहीं होना चाहिए।

भारत में न्यायाधिकरणों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- भारत में न्यायाधिकरणों के लिए संवैधानिक ढाँचा मुख्यतः **भाग XIV-A** में निहित है, जिसे **42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976** द्वारा जोड़ा गया था।
- इसमें **अनुच्छेद 323A और 323B** शामिल हैं।
- **अनुच्छेद 323A (प्रशासनिक न्यायाधिकरण):** अनुच्छेद 323A के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है।
  - संसद एक **केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT)**, राज्यों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण तथा दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण गठित कर सकती है।
- **अनुच्छेद 323B (अन्य विषयों के लिए न्यायाधिकरण):** संसद या राज्य विधानमंडल कानून द्वारा निर्दिष्ट विषयों के न्यायनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान कर सकता है।
  - इन विषयों में कराधान, विदेशी मुद्रा, आयात एवं निर्यात, औद्योगिक एवं श्रम संबंधी मामले, भूमि सुधार, शहरी संपत्ति पर अधिकतम सीमा, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के चुनाव, आवश्यक वस्तुएँ तथा किराया एवं काश्तकारी संबंधी मामले शामिल हैं।
- **अनुच्छेद 136 (सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार):** सर्वोच्च न्यायालय भारत में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है, जो संवैधानिक सीमाओं के अधीन है।
  - अतः न्यायाधिकरण न्यायिक व्यवस्था से पूर्णतः अलग नहीं हैं।
- **अनुच्छेद 226 एवं 227 (उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षण शक्ति):** उच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन और अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हैं, जो एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा उपाय है।

क्या आप जानते हैं?

- **एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि:
  - अनुच्छेद 226/227 और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की मूल संरचना का भाग है।
  - न्यायाधिकरण सहायक भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन वे उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक क्षेत्राधिकार का स्थान नहीं ले सकते।
  - न्यायाधिकरणों के निर्णय संबंधित उच्च न्यायालय की **खंडपीठ** द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
- **अनुच्छेद 50 (कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण):** यह राज्य को निर्देश देता है कि वह राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 के प्रमुख प्रावधान

- **राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC):** न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 में न्यायाधिकरणों के लिए एक व्यापक संस्थागत तंत्र के रूप में **राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC)** के गठन का प्रस्ताव किया गया है।
  - इसमें एक अध्यक्ष, दो न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य होंगे।
  - आयोग न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के चयन की प्रक्रिया संचालित करेगा, न्यायाधिकरण सदस्यों के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा, सदस्यों के विरुद्ध शिकायतों से संबंधित जाँच की निगरानी करेगा, मामलों से संबंधित सूचनाओं वाला **राष्ट्रीय न्यायाधिकरण डेटा ग्रिड** बनाए रखेगा तथा न्यायाधिकरणों के प्रशासनिक कामकाज की निगरानी करेगा।

- **अंतर्गत आने वाले न्यायाधिकरण/प्राधिकरण:** इस ढाँचे के अंतर्गत **16 न्यायाधिकरण और प्राधिकरण** आते हैं, जिनमें केंद्रीय एवं राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण शामिल हैं।
  - इसमें कहा गया है कि विधेयक संबंधित मूल अधिनियमों के अंतर्गत न्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकार में कोई परिवर्तन नहीं करता है।
- **2021 के अधिनियम का निरसन:** विधेयक का उद्देश्य **न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021** को निरस्त करना है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2025 में शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता सहित विभिन्न आधारों पर अमान्य कर दिया था।
  - इसमें ऐसे बचावकारी प्रावधान शामिल हैं, जिनके अंतर्गत 2021 के ढाँचे के अंतर्गत की गई वर्तमान नियुक्तियों और शुरू की गई चयन प्रक्रियाओं को NTC की स्थापना होने तक संरक्षण प्रदान किया जाएगा।

संबंधित मुद्दे एवं चिंताएँ

- **न्यायिक स्वतंत्रता:** मुख्य मुद्दा नियुक्तियों, कार्यकाल और सेवा शर्तों पर कार्यपालिका के प्रभाव से संबंधित है।
  - कार्यपालिका की अत्यधिक शक्ति न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकती है।
- **शक्तियों का पृथक्करण: मद्रास बार एसोसिएशन** से संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि संसद की न्यायाधिकरण गठित करने की शक्ति का परिणाम यह नहीं होना चाहिए कि इन संस्थाओं पर प्रशासन का प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो जाए।
- **रिक्तियाँ और लंबित मामले:** अध्यक्षों और सदस्यों के पदों पर निरंतर बनी रहने वाली रिक्तियों के कारण मामलों का लंबित भार बढ़ सकता है, जिससे न्यायाधिकरणों की स्थापना का मूल उद्देश्य ही विफल हो सकता है।
- **क्षेत्राधिकार का अतिव्यापन:** कई न्यायाधिकरणों और अपीलीय प्रक्रियाओं के कारण क्षेत्राधिकार संबंधी जटिलता उत्पन्न हो सकती है, जिससे मुकदमों में कमी आने के बजाय वृद्धि हो सकती है।
- **तकनीकी सदस्यों की गुणवत्ता:** न्यायिक और तकनीकी अनुभव के उचित संतुलन वाले सदस्यों की नियुक्ति एक निरंतर चुनौती बनी हुई है। तकनीकी सदस्यों के पास प्रासंगिक विशेषज्ञता होनी चाहिए, लेकिन इसके कारण न्यायनिर्णयन की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
- **संस्थागत स्वायत्तता:** वित्त, बुनियादी ढाँचे और कार्मिकों के लिए मंत्रालयों पर निर्भरता संस्थागत स्वायत्तता को प्रभावित कर सकती है।
- **सुलभता:** न्यायाधिकरणों का कुछ ही भौतिक स्थानों पर केंद्रीकरण वादकारियों के लिए महँगा हो सकता है, विशेषकर व्यक्तियों और छोटे संगठनों के लिए।
- **जवाबदेही बनाम स्वतंत्रता:** न्यायाधिकरण अपने प्रदर्शन के लिए जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन उसे कार्यपालिका के हस्तक्षेप के लिए खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए पारदर्शी मूल्यांकन और शिकायत निवारण प्रणालियों की आवश्यकता है।
- **संसदीय समीक्षा:** लोकसभा में महत्वपूर्ण संस्थागत सुधारों को पर्याप्त परिचर्चा के बिना पारित किए जाने की रिपोर्ट की गई कार्यवाही विधायी विचार-विमर्श और संसदीय समीक्षा की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठाती है।
- **'न्यायाधिकरणीकरण' का जोखिम:** न्यायाधिकरणों पर अत्यधिक निर्भरता से न्याय प्रणाली का विखंडन हो सकता है। इसलिए न्यायाधिकरणों को संवैधानिक न्यायालय प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए, न कि उसे कमजोर करना चाहिए।

न्यायाधिकरणों का संवैधानिक महत्व

- **न्याय तक पहुँच:** न्यायाधिकरण विशेषीकृत और अपेक्षाकृत सुलभ विवाद निवारण मंच उपलब्ध कराते हैं, जिससे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के आदर्शों को बढ़ावा मिलता है।
- **न्यायिक स्वतंत्रता:** न्यायालयों का संचालन शक्तियों के पृथक्करण और न्यायनिर्णयन करने वाले निकायों की स्वतंत्रता के संवैधानिक सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए।
- **न्यायिक पुनरावलोकन:** फिर भी न्यायाधिकरणों के निर्णय संवैधानिक न्यायालयों द्वारा समीक्षा के लिए खुले रहते हैं, विशेष रूप से अनुच्छेद 226/227 और अनुच्छेद 136 के अंतर्गत।
- **विशेषज्ञता:** न्यायाधिकरण कानूनी दक्षता को तकनीकी/क्षेत्र-विशेष के ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, जिससे मामलों के प्रभावी न्यायनिर्णयन में सहायता मिलती है।
- **नियंत्रण एवं संतुलन:** एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण प्रणाली कार्यपालिका में न्यायनिर्णयन संबंधी शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण को रोकती है।

शासन संबंधी महत्व

- **न्यायालयों के भार में कमी:** न्यायाधिकरण विशेषीकृत मामलों को उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों से अलग करके उनके कार्यभार को कम कर सकते हैं।
- **त्वरित विवाद निपटान:** विशेषीकृत प्रक्रियाएँ देरी और प्रक्रियागत जटिलताओं को कम करने में सहायता कर सकती हैं।

- **विशेषज्ञतापूर्ण निर्णय:** तकनीकी सदस्य कराधान, पर्यावरण, कॉरपोरेट कानून और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान करते हैं।
- **बेहतर नियामक शासन:** प्रभावी न्यायाधिकरण क्षेत्रीय नियामकों और आर्थिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं।
- **डेटा-आधारित प्रशासन:** राष्ट्रीय न्यायाधिकरण डेटा ग्रिड रिक्तियों, लंबित मामलों, मामलों के निपटान की दर और संस्थागत प्रदर्शन की निगरानी में सहायता कर सकता है।
- **संस्थागत समन्वय:** राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग अनेक न्यायाधिकरणों के बिखरे हुए प्रशासन को समन्वित करने में सहायता कर सकता है।

वित्तीय/आर्थिक महत्व

- **किफायती न्याय:** कम लागत वाला विशेषीकृत न्याय लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों की आर्थिक लागत को कम कर सकता है।
- **कारोबार करने में सुगमता:** वाणिज्यिक, कर, दिवालियापन और नियामकीय विवादों का त्वरित निपटारा कॉरपोरेट क्षेत्र में निश्चितता को बढ़ाता है।
- **निवेश का वातावरण:** पूर्वानुमेय विवाद निपटान व्यवस्था निवेशकों के विश्वास को बढ़ाती है।
- **प्रशासनिक दक्षता:** भर्ती, बुनियादी ढाँचे और प्रशासन में दोहराव को एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है।
- **राजकोषीय प्रभाव:** प्रस्तावित NTC पर लगभग ₹27.14 करोड़ की लागत आने का अनुमान है, हालांकि न्यायाधिकरणों के बेहतर संचालन से दीर्घकाल में दक्षता संबंधी लाभ प्राप्त हो सकते हैं।
  - प्रत्यावर्ती व्यय में दूसरे और तीसरे वर्ष में विगत वर्ष की तुलना में प्रत्येक वर्ष **10%** की वृद्धि होने की संभावना है।

आगे की राह

- न्यायाधिकरण सुधारों में विशेषीकृत न्याय और संवैधानिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।
- NTC में पारदर्शी चयन प्रक्रियाएँ, पर्याप्त न्यायिक प्रतिनिधित्व, संस्थागत स्वायत्तता और प्रभावी जवाबदेही प्रणालियाँ सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- उचित कार्यान्वयन के माध्यम से न्यायाधिकरणों को अधिक दक्ष, पारदर्शी और सुलभ बनाया जा सकता है तथा साथ ही शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक ढाँचे के अनुरूप बनाए रखा जा सकता है।

स्रोत: TH

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के संबंध में वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट

संदर्भ

- विभाग-संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी **201वीं रिपोर्ट**, जिसका शीर्षक **"भारत में व्यवसाय करना: आगे की राह"** है, संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की।

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस क्या है?

- **ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (EoDB)** से आशय उस सीमा से है, जिस तक नियामक, प्रशासनिक और संस्थागत वातावरण व्यवसायों को न्यूनतम लागत, समय एवं प्रक्रियागत बाधाओं के साथ शुरू करने, संचालित करने, विस्तार करने तथा बंद करने में सक्षम बनाता है।

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में भारत की प्रगति

- भारत ने विश्व बैंक की **डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट** में अपनी रैंकिंग 2014 में 142 से सुधारकर 2019 में 63 कर ली, जो नियामक वातावरण में महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है।
- **IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग** में भारत की स्थिति 2021 में 43वें स्थान से सुधरकर 2025 में 41वें स्थान पर पहुँच गई।
- भारत को विश्व बैंक के **गवटेक परिपक्वता सूचकांक** में लगातार **समूह A** में स्थान दिया गया है, जो उन्नत डिजिटल शासन क्षमताओं को दर्शाता है।
- सरकार की **अनुपालन भार कम करने (RCB)** की पहल के परिणामस्वरूप केंद्र और राज्य स्तर के कानूनों के अंतर्गत **47,000 से अधिक अनुपालनों** को कम, सरल, डिजिटलीकृत या अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (NSWS):** यह व्यवसायों को विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय अनुमोदनों के लिए आवेदन करने हेतु एक एकीकृत मंच प्रदान करती है।
  - राज्य-स्तरीय सिंगल विंडो प्रणालियों को **API-आधारित कड़ियों** के माध्यम से NSWS के साथ एकीकृत किया गया है।
- **बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP):** BRAP राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कारोबारी सुधार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके **प्रतिस्पर्धी संघवाद** को बढ़ावा देता है।
  - इसका उद्देश्य अनुमोदन, निरीक्षण और व्यावसायिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में सुधारों के माध्यम से नियामक वातावरण को बेहतर बनाना है।

NEXT IAS हिन्दी

- **जन विश्वास सुधार:** जन विश्वास सुधारों के अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित सैकड़ों छोटे अपराधों को **अपराध की श्रेणी से बाहर** किया गया है। इन सुधारों से प्रक्रियागत उल्लंघनों के लिए आपराधिक अभियोजन के भय को कम किया गया है और स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन मिला है।
- **ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS):** TReDS ने कॉरपोरेट खरीदारों और सरकारी संस्थाओं से भुगतान की शीघ्र प्राप्ति को सक्षम बनाकर **MSMEs की तरलता** में सुधार किया है।
- **पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान:** यह पहल विभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत बुनियादी ढाँचा नियोजन को बढ़ावा देती है।
    - इससे परियोजनाओं में होने वाली देरी कम होती है और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार होता है।

चुनौतियाँ

- **राज्यों के स्तर पर असमान प्रदर्शन:** सुधारों का कार्यान्वयन विभिन्न राज्यों तथा प्रमुख औद्योगिक केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अलग-अलग है। इससे देशभर में कारोबारी वातावरण में असमानता उत्पन्न होती है।
- **बुनियादी ढाँचे से संबंधित बाधाएँ:** नियामक और बुनियादी ढाँचे संबंधी बाधाएँ लॉजिस्टिक्स लागत को बढ़ाती रहती हैं, क्योंकि बहु-माध्यमीय संपर्क, भंडारण, कोल्ड चेन, माल ढुलाई एवं संचालन तथा अंतिम छोर तक संपर्क जैसी सुविधाओं में अभी भी कमियाँ विद्यमान हैं।
- **ऋण तक सीमित पहुँच:** MSMEs, स्टार्ट-अप और प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को दस्तावेजीकरण की अधिक आवश्यकताओं, जमानत संबंधी बाधाओं तथा ऋण की असमान उपलब्धता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- **विखंडित नियामक ढाँचा:** व्यवसायों को अभी भी विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनेक लाइसेंसों, अनुमोदनों और एक-दूसरे से ओवरलैपिंग निरीक्षणों का सामना करना पड़ता है। विभिन्न कानूनों के अंतर्गत समानांतर निरीक्षणों से प्रयासों का दोहराव होता है।

समिति की सिफारिशें

- विभाग को **नियामक अनुपालन पोर्टल** को सुदृढ़ करना चाहिए तथा बुनियादी स्तर पर अनुपालन सुधारों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इसमें वास्तविक समय की शिकायत निवारण व्यवस्था और प्रदर्शन संबंधी मापदंडों को एकीकृत करना चाहिए।
- समिति जोखिम-आधारित विनियमनों को अपनाकर तथा **स्व-प्रमाणन और तृतीय-पक्ष प्रमाणन** के उपयोग को बढ़ाकर नियामक ढाँचों के युक्तिकरण और एकीकरण की सिफारिश करती है।
- जन विश्वास सुधारों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा छोटे प्रशासनिक त्रुटियों के लिए आपराधिक दंड के स्थान पर आनुपातिक दीवानी दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए।

स्रोत: PIB

स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर दस्तावेज़

संदर्भ

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने **इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026** में **'मेडटेक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी परिवर्तन'** शीर्षक से ज्ञान पत्र जारी किया।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवा में **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** के उत्तरदायी उपयोग को गति देने के लिए पाँच प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है।
    - इनमें **AI-अनुकूल डेटा और साक्ष्य**, जीवन-चक्र आधारित विनियमन एवं प्रतिपूर्ति तंत्र, AI-सक्षम निदान के विस्तार तथा सरकार, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और अकादमिक जगत के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना शामिल है।
- रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत के पास अपनी **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, सॉफ्टवेयर क्षमताओं, नैदानिक विविधता और बढ़ते मेडटेक विनिर्माण आधार** का लाभ उठाकर उत्तरदायी AI-सक्षम चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने का अवसर है।

Exhibit A: India's rising healthcare needs

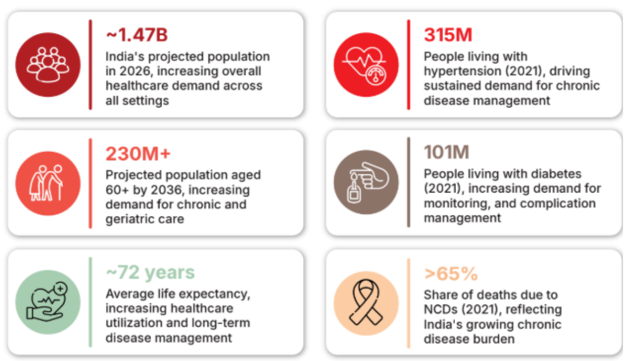

स्वास्थ्य सेवा में AI का उपयोग

- AI-आधारित उपकरण रोगों का निदान और पूर्वानुमान कर सकते हैं, नैदानिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, अस्पताल प्रबंधन में सुधार कर सकते हैं, दवा खोज में सहायता कर सकते हैं तथा स्वास्थ्य सेवा संबंधी अनुसंधान में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

NEXT IAS हिन्दी

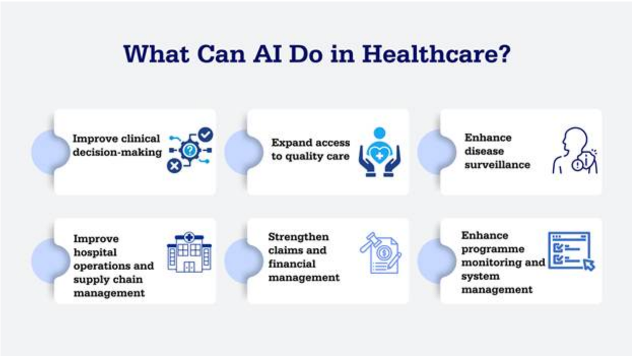

स्वास्थ्य में AI के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की चार प्राथमिकताएँ

- अनुसंधान संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण डेटा का संकलन करना।
- निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना।
- ICMR के संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से वास्तविक-विश्व साक्ष्य तैयार करना।
- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पेशेवरों को AI कार्यबल की प्रक्रिया में तत्काल एकीकृत करना।

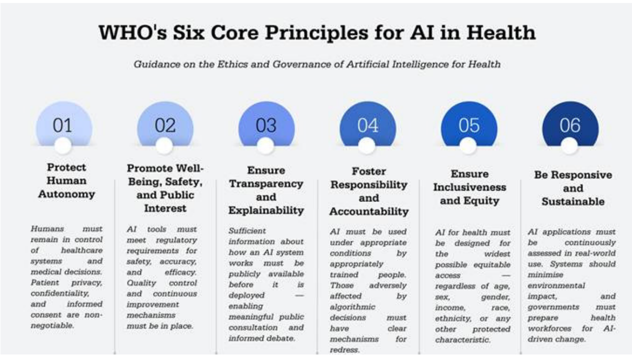

स्वास्थ्य सेवा में AI के उपयोग का महत्व

- **बेहतर नैदानिक सटीकता:** AI बड़ी मात्रा में चिकित्सा डेटा और इमेजिंग स्कैन का तीव्रता से विश्लेषण कर सकता है, जिससे चिकित्सकों को रोगों का पहले और अधिक सटीक चरण में पता लगाने में सहायता मिलती है।
- **बेहतर दक्षता और समय की बचत:** AI नियमित कार्यों को स्वचालित करता है, जिससे स्वास्थ्य सेवा पेशेवर मरीजों की देखभाल पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
- **व्यक्तिगत उपचार:** AI आनुवंशिक जानकारी, जीवनशैली संबंधी डेटा और चिकित्सा इतिहास का विश्लेषण करके प्रत्येक मरीज के लिए अनुकूलित उपचार योजनाएँ तैयार करने में सहायता कर सकता है।
- **रोगों की शीघ्र भविष्यवाणी और रोकथाम:** AI मॉडल स्वास्थ्य संबंधी डेटा में पैटर्न की पहचान कर संभावित रोगों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जिससे निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा मिलता है।
- **दवा खोज और अनुसंधान में सुधार:** AI जटिल जैविक डेटा का विश्लेषण करके दवा खोज और नैदानिक परीक्षणों की प्रक्रिया को तीव्र करता है, जिससे नई दवाओं के विकास में लगने वाला समय और लागत कम हो सकती है।
- **स्वास्थ्य सेवा की बेहतर पहुँच:** AI-संचालित टेलीमेडिसिन और वर्चुअल स्वास्थ्य सहायक दूरस्थ एवं स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने में सहायता कर सकते हैं, जिससे चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँच में सुधार होता है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में सहायता:** AI सरकारों और स्वास्थ्य संगठनों को रोग निगरानी, प्रकोप के पूर्वानुमान तथा नीति-निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर डेटा का विश्लेषण करने में सहायता करता है।

चिंताएँ

- **AI प्रॉम्प्ट के माध्यम से डेटा लीक होने का जोखिम:** स्वास्थ्य सेवा कर्मी जनरेटिव AI उपकरणों का उपयोग करते समय अनजाने में मरीजों का विवरण प्रॉम्प्ट या अपलोड किए गए दस्तावेजों में शामिल कर सकते हैं, जिससे बाहरी सर्वरों पर संवेदनशील जानकारी के उजागर होने का जोखिम रहता है।
- **स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बढ़ते साइबर सुरक्षा खतरे:** स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पहले से ही साइबर अपराधियों का प्रमुख लक्ष्य है। डिजिटलाइजेशन और AI के बढ़ते एकीकरण से साइबर हमलों के लिए उपलब्ध संभावित क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है।
- **जागरूकता और प्रशिक्षण का अभाव:** स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को पर्याप्त साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त न होने के कारण अनजाने में डेटा के उजागर होने की संभावना बढ़ सकती है।
- **नियामक और नैतिक चिंताएँ:** मरीजों के डेटा का उल्लंघन डेटा संरक्षण कानूनों और चिकित्सा गोपनीयता से संबंधित नैतिक दायित्वों का उल्लंघन कर सकता है। इससे स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के प्रति लोगों का विश्वास कमजोर हो सकता है।

भारत की AI-स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ

- **स्वास्थ्य सेवा के लिए भारत की AI रणनीति (SAHI): SAHI** एक अनुशंसात्मक राष्ट्रीय ढाँचे के रूप में कार्य करता है, जो यह निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है कि AI को स्वास्थ्य सेवाओं में किस प्रकार एकीकृत किया जा सकता है।
  - राष्ट्रीय ढाँचे के रूप में शुरू किया गया SAHI पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा वितरण में AI के एकीकरण के लिए एक संरचित रोडमैप प्रस्तुत करता है।
- **BODH (स्वास्थ्य संबंधी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए मुक्त डेटा मंच का मानकीकरण):** इसे **AI शिखर सम्मेलन** के दौरान शुरू किया गया। यह बड़े पैमाने पर लागू किए जाने से पहले **Health AI समाधानों के परीक्षण और सत्यापन** के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करता है।

- इसे **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर** द्वारा **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण** के सहयोग से विकसित किया गया है।

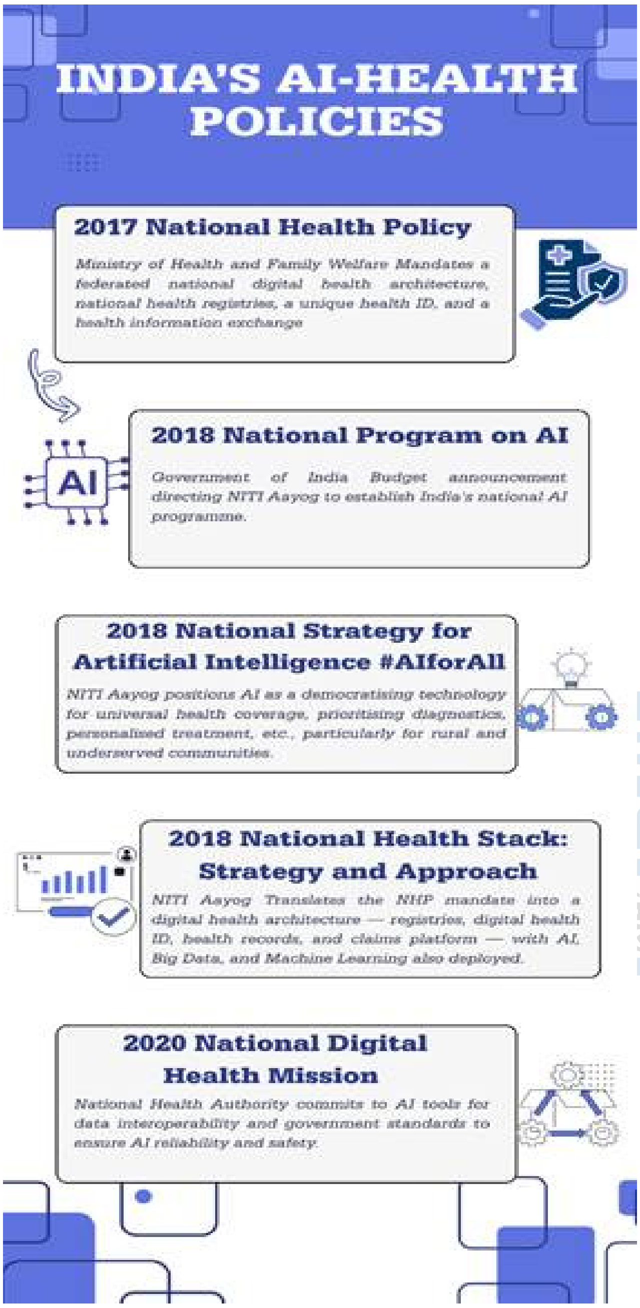

स्रोत: AIR

सरकार द्वारा SC/ST आरक्षण में आय-आधारित क्रीमी लेयर के प्रावधान का विरोध

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने **अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा** लागू करने की मांग का विरोध किया है।

पृष्ठभूमि

- सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएँ दायर की गई थीं, जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की तरह अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के आरक्षित वर्गों में क्रीमी लेयर को बाहर करने की व्यवस्था की मांग की गई थी।
- न्यायालय ने 2024 के उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद केंद्र सरकार से **कार्रवाई रिपोर्ट** दाखिल करने को भी कहा था, जिसने SCs और STs के अंदर उप-वर्गीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था।

सरकार का पक्ष

- **ऐतिहासिक वंचना:** SCs को अस्पृश्यता की प्रथा से उत्पन्न ऐतिहासिक वंचनाओं का सामना करना पड़ा है।
  - इसी प्रकार, STs की पहचान उनकी **"विशिष्ट संस्कृतियों, भौगोलिक अलगाव और पिछड़ेपन"** के आधार पर की जाती है।
  - इसके विपरीत, OBCs की पहचान मुख्यतः सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक वंचनाओं के संयोजन के आधार पर की जाती है।
  - SCs और STs के लिए आरक्षण का मुख्य उद्देश्य **सामाजिक समानता और न्याय प्राप्त करना, ऐतिहासिक भेदभाव को दूर करना तथा सार्वजनिक जीवन में समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करना** है।
- **संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: 1992 के इंद्रा साहनी निर्णय** में, जिसमें मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन को बरकरार रखा गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीमी लेयर की कसौटी को मान्यता दी।
  - इस निर्णय में क्रीमी लेयर की अवधारणा को OBCs तक सीमित रखा गया और कहा गया कि इसका **"अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के मामले में कोई प्रासंगिकता नहीं है।"**
  - सरकार ने **2008 के अशोक कुमार ठाकुर मामले** का भी उल्लेख किया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत SCs और STs पर लागू नहीं होता है।
- **शक्तियों का पृथक्करण:** संविधान के **अनुच्छेद 341 और 342** के तहत राष्ट्रपति SCs और STs की प्रारंभिक सूचियों को अधिसूचित करते हैं।
  - एक बार अधिसूचित होने के बाद, इन सूचियों में किसी भी समुदाय को शामिल या बाहर करने का कार्य केवल **संसद के अधिनियम** द्वारा किया जा सकता है।
  - राज्य सरकारों, न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या किसी अन्य प्राधिकरण को इन सूचियों में संशोधन, परिवर्तन या फेरबदल करने का अधिकार नहीं है।

भारत में आरक्षण

- वर्तमान निर्देशों के अनुसार, **अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती** के मामले में अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) को क्रमशः **15%, 7.5% और 27%** आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- **संविधान (103वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019** राज्य अर्थात केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को समाज के **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS)** के लिए आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

क्रीमी लेयर सिद्धांत

- यह एक ऐसी अवधारणा है, जिसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ किसी विशेष समूह के अंदर आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित लोगों तक पहुँचे।
  - इसका उद्देश्य आरक्षित वर्ग के अपेक्षाकृत समृद्ध या अधिक लाभान्वित सदस्यों को इन लाभों का बार-बार लाभ उठाने से रोकना है।
- **उत्पत्ति:** इस अवधारणा को प्रथम बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने **1992 के इंद्रा साहनी मामले**, जिसे **मंडल आयोग मामला** भी कहा जाता है, में स्पष्ट रूप से स्थापित किया था।
  - न्यायालय के निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि OBC श्रेणी के अंदर अपेक्षाकृत अधिक विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
- **प्रभाव:** क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करके सरकार का उद्देश्य अपनी **सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों** को अधिक प्रभावी और न्यायसंगत बनाना है, ताकि सबसे अधिक आवश्यकता वाले लोगों को उनके लिए निर्धारित सहायता प्राप्त हो सके।

आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 16:** यह सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता का प्रावधान करता है। हालांकि, इसके अपवाद के रूप में राज्य ऐसे किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, जिसका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **अनुच्छेद 16(4A):** यह प्रावधान करता है कि यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्य उनके पक्ष में **पदोन्नति के मामलों में आरक्षण** का प्रावधान कर सकता है।
- **अनुच्छेद 335:** यह मान्यता देता है कि SCs और STs के सेवाओं एवं पदों से संबंधित दावों पर विचार करने के लिए विशेष उपाय अपनाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें अन्य वर्गों के समकक्ष लाया जा सके।
- **संविधान का 103वाँ संशोधन:** इस संशोधन द्वारा समाज के **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS)** के लिए **10% आरक्षण** का प्रावधान किया गया।

अनुसूचित जातियों (SCs) के उप-वर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने **6:1 के बहुमत** से अनुसूचित जाति की श्रेणी के अंदर उप-वर्गीकरण की वैधता को बरकरार रखा। इस निर्णय में पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा **ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2004)** मामले में दिए गए निर्णय को पलट दिया गया।
  - न्यायालय ने कहा कि SCs/STs के अंदर क्रीमी लेयर की पहचान के लिए निर्धारित मानदंड **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs)** के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों से अलग होने चाहिए।
- **2024 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के तर्क:**
  - **अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता** का अर्थ समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना है, लेकिन यह राज्य को अलग-अलग स्थिति वाले समूहों का वर्गीकरण करने की अनुमति देता है।
    - यदि कोई आरक्षित वर्ग, जैसे अनुसूचित जाति, आंतरिक रूप से एकसमान नहीं है, तो लाभों के न्यायसंगत वितरण के लिए राज्य उसके अंदर छोटे समूह बना सकता है।
  - **समरूप नहीं:** राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सूची एक **कानूनी अवधारणा** है, जिसका उपयोग वंचित समूहों की पहचान के लिए किया जाता है; यह आवश्यक रूप से एक समरूप वर्ग नहीं है।
    - SC सूची में शामिल होना लक्षित लाभ प्रदान करने के लिए आगे वर्गीकरण किए जाने से रोकता नहीं है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि **उप-वर्गीकरण** निम्नलिखित आधारों पर होना चाहिए:
  - मात्रात्मक एवं विश्वसनीय आँकड़े;
  - अधिक वंचित होने का प्रमाण;
  - सार्वजनिक सेवाओं में अपर्याप्त और अप्रभावी प्रतिनिधित्व के साक्ष्य।
  - राज्यों को मनमाने वर्गीकरण से बचना होगा तथा वर्गीकरण के पीछे तर्क और अनुभवजन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
  - केवल संख्यात्मक उपस्थिति के बजाय **प्रभावी प्रतिनिधित्व** महत्वपूर्ण है।

आगे की राह

- **संवैधानिक सीमाओं के अंदर :** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उप-वर्गीकरण **अनुच्छेद 14, 15(4) और 16(4)**

NEXT IAS हिन्दी

के अनुरूप रहे तथा **अनुच्छेद 341** के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सूची में कोई परिवर्तन न हो।

- **क्रीमी लेयर की प्रयोज्यता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन:** यदि SCs/STs पर क्रीमी लेयर लागू की जाती है, तो OBCs से अलग मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इससे इन समूहों के लिए उपलब्ध ऐतिहासिक संवैधानिक सुरक्षा कमजोर न हो।
- **सामाजिक उत्थान के उपायों का सुदृढ़ीकरण:** आरक्षण के साथ लक्षित शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता सहायता और भेदभाव-विरोधी कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन जैसे उपायों को जोड़ा जाना चाहिए।
- **सामाजिक समरसता को प्रोत्साहन :** नीतिगत परिवर्तनों के साथ जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि SC समुदायों के अंदर विभाजन को रोका जा सके और **सामूहिक सामाजिक उत्थान की भावना** को बनाए रखा जा सके।

स्रोत: IE

गूगल के AI-जनित उपग्रह चित्रों से सुरक्षा संबंधी चिंताएँ

समाचार में

- **गूगल अर्थ (Google Earth)** में गूगल की AI-आधारित **"क्रिएट इमेज"** सुविधा जारी होने के 24 घंटे के अंदर ही हटा दी गई।

गूगल अर्थ की AI सुविधा के बारे में

- जुलाई 2026 में गूगल ने अपनी **नैनो बनाना (Nano Banana)** तकनीक पर आधारित गूगल अर्थ में AI इमेज जनरेशन सुविधा की घोषणा की।
- यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के आधार पर उपग्रह चित्रों में वस्तुओं को जोड़कर उनमें बदलाव करने की अनुमति देती थी।
- इसका उद्देश्य ऐतिहासिक घटनाओं के पुनर्निर्माण, रियल एस्टेट के नमूना प्रारूप, शैक्षिक इन्फोग्राफिक्स और वास्तुशिल्पीय विज़ुअलाइजेशन जैसे कार्यों में सहायता करना था।

सुविधा हटाने के कारण

- उपयोगकर्ताओं द्वारा ऐसी तस्वीरें तैयार किए जाने के बाद गूगल ने इस सुविधा को वापस ले लिया, जो उसकी नीतियों का उल्लंघन करती प्रतीत हुईं।
- उपयोगकर्ताओं और शोधकर्ताओं ने **आतंकवादी हमलों, मानवीय संकटों, औद्योगिक दुर्घटनाओं और पर्यावरणीय विनाश** से संबंधित डीपफेक उपग्रह चित्र तैयार किए।
- इस घटना ने यह चिंता बढ़ा दी कि इस सुविधा में वर्तमान सुरक्षा उपायों को बहुत आसानी से दरकिनार किया जा सकता है, जिससे विश्वसनीय प्रतीत होने वाली गलत सूचनाओं के व्यापक प्रसार का मार्ग खुल सकता है।
- तैयार की गई तस्वीरों पर AI-जनित होने का लेबल लगाया गया था और उन्हें गूगल अर्थ के मुख्य अनुभव में प्रदर्शित नहीं किया गया था।

नकली AI-जनित उपग्रह चित्रों के प्रभाव और जोखिम

- **गलत सूचना:** डीपफेक का उपयोग संघर्षों, आपदाओं, मानवीय संकटों या पर्यावरणीय क्षरण के संबंध में लोगों को गुमराह करने और ऐसी सामग्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल करने के लिए किया जा सकता है।
- **धोखाधड़ी:** भौगोलिक या संपत्ति संबंधी जानकारी में बदलाव किए जाने की स्थिति में रियल एस्टेट धोखाधड़ी संभव हो सकती है।
- **कमजोर सुरक्षा:** AI वॉटरमार्क को आसानी से हटाया जा सकता है, जिससे सामान्य लोगों के लिए नकली तस्वीरों की पहचान करना कठिन हो जाता है।
- **शैक्षणिक एवं अनुसंधान संबंधी विश्वसनीयता:** ऐसी तस्वीरें अनुसंधान और वैज्ञानिक पद्धति की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती हैं।
- **सुरक्षा संबंधी जोखिम:** AI-जनित नकली उपग्रह चित्र सैन्य उपकरणों, सैन्य अड्डों की गतिविधियों और सीमा पर सैन्य तैनाती के संबंध में गलत जानकारी प्रदान करके **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम** उत्पन्न कर सकते हैं।
    - यह प्रक्रिया महँगी होने के साथ-साथ बहुमूल्य समय और संसाधनों की खपत करती है, लेकिन इससे खुफिया एजेंसियों को जाँच करने तथा संकट की स्थिति में निर्णायक प्रतिक्रिया देने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है।

आगे की राह

- भौगोलिक-स्थान संबंधी सिंथेटिक मीडिया के खतरे से निपटने के लिए सरकारों को **क्रिप्टोग्राफिक वॉटरमार्किंग** जैसी सुदृढ़ तकनीकी सुरक्षा व्यवस्थाएँ अनिवार्य करनी चाहिए, ताकि चित्रों की प्रामाणिकता सत्यापित की जा सके।
- इसके साथ ही, साइबर सुरक्षा कानूनों को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है, ताकि **दुर्भावनापूर्ण जियोस्पेशियल डीपफेक** को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरे के रूप में वर्गीकृत किया जा सके।
- रक्षा और खुफिया एजेंसियों को हेरफेर किए गए उपग्रह डेटा और कृत्रिम रूप से तैयार किए गए भू-भाग की शीघ्र पहचान के लिए **AI-सक्षम पहचान उपकरणों** का उपयोग करना चाहिए।

NEXT IAS हिन्दी

- **युद्ध क्षेत्रों और परमाणु प्रतिष्ठानों जैसे संवेदनशील स्थानों के चित्रों में संशोधन के लिए वैश्विक मानकों की आवश्यकता है।**

स्रोत:TH

संक्षिप्त समाचार

RBI के नए ऋण वसूली नियम

समाचार में

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बकाया ऋण की वसूली के तरीके को विनियमित करने के लिए व्यापक नियम जारी किए हैं। इन नियमों के माध्यम से बैंकों और उनके द्वारा नियुक्त बाह्य वसूली एजेंटों से अपेक्षित आचरण में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

RBI के नए ऋण वसूली नियमों के बारे में

- इन नियमों का उद्देश्य ऋण वसूली की प्रक्रियाओं को विनियमित करना और उधारकर्ताओं को उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना है, साथ ही बैंकों को वास्तविक बकाया राशि की वसूली की अनुमति देना है।
  - ये नियम **1 जनवरी, 2027** से लागू होंगे।
- इसके अतिरिक्त, इन नियमों में बैंक ऋण से वित्तपोषित मोबाइल उपकरणों पर प्रौद्योगिकी-आधारित प्रतिबंध लगाने के संबंध में भारत का प्रथम विस्तृत नियामक ढाँचा भी प्रस्तुत किया गया है।

RBI rule	What it means for borrowers
Personal devices	Cannot be disabled for recovery of unrelated loans
Financed devices	Restrictions may apply, subject to RBI safeguards
Notice period	The borrower must receive due notice before restrictions
30 days past due	Device restrictions cannot begin before this stage
60 days past due	Full restrictions may be imposed as per the loan agreement
Essential functions	Incoming calls, SMS and emergency SOS must remain available
Personal data	Contacts, photos, SMS, call logs and location history cannot be accessed for recovery

प्रावधान

- **उपकरण को लॉक करने पर रोक:** बैंक बकाया राशि की वसूली के लिए उधारकर्ताओं के मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप को दूरस्थ रूप से लॉक या प्रतिबंधित नहीं कर सकते, जब तक कि ऋण विशेष रूप से उस उपकरण की खरीद के लिए न लिया गया हो।
- **उत्पीड़न पर रोक:** वसूली एजेंट उधारकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार, धमकी, भयादोहन या डराने-धमकाने का व्यवहार नहीं कर सकते और न ही उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा या व्यक्तिगत रूप से अपमानित कर सकते हैं।
- **निजता की सुरक्षा:** बैंक या वसूली एजेंट ऋण वसूली के लिए उधारकर्ता के संपर्कों, तस्वीरों, संदेशों, कॉल रिकॉर्ड या लोकेशन डेटा का उपयोग नहीं कर सकते।
  - डेटा साझा करना केवल वसूली एजेंटों या कर्मचारियों तक और उतनी ही सीमा तक सीमित होगा, जितना ऋण वसूली के लिए आवश्यक हो।
  - EMI, बकाया ऋण और ब्याज इन नियमों के कारण माफ नहीं होंगे; उधारकर्ता अपने बकाया दायित्वों के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे।
  - ऋण भुगतान में चूक का उधारकर्ता की **कानूनी स्थिति और क्रेडिट स्कोर** पर प्रभाव पड़ता रहेगा।

उद्देश्य

- इन नियमों का उद्देश्य ऋण वसूली प्रक्रिया को **निष्पक्ष, पारदर्शी और विनियमित** बनाना है, ताकि वसूली के लिए उत्पीड़न, धमकी अथवा प्रौद्योगिकी एवं व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग का सहारा न लिया जाए।

स्रोत: IE

सरकारी ई-मार्केटप्लेस के 10 वर्ष

संदर्भ

- **सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM)** ने 9 अगस्त, 2026 को अपने संचालन के दस वर्ष पूरे किए।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM)

- GeM एक **एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल** है, जो विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद को सुगम बनाता है।
- इसे वर्ष **2016** में शुरू किया गया था और इसका संचालन **GeM SPV (स्पेशल पर्पज़ व्हीकल)** द्वारा किया जाता है। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है।
- सरकारी उपयोगकर्ताओं द्वारा GeM के माध्यम से खरीद को **वित्त मंत्रालय द्वारा 2017 में अधिकृत एवं अनिवार्य** किया गया था।

GeM के मूल सिद्धांत

- **GeM का प्रदर्शन:** इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब तक **3.78 करोड़ से अधिक ऑर्डरों** के जरिए संचयी रूप से ₹20 लाख करोड़ से अधिक का सकल व्यापारिक मूल्य (GMV) दर्ज किया गया है।
    - प्लेटफॉर्म को संचयी GMV में पहले **₹10 लाख करोड़** का आँकड़ा प्राप्त करने में आठ वर्ष से अधिक का समय लगा, जबकि अगले ₹10 लाख करोड़ का माइलस्टोन **दो वर्ष से भी कम समय** में हासिल किया गया।
- **भागीदारी:** प्रोफाइल पूर्ण करने वाले विक्रेताओं की संख्या **3,339 से बढ़कर 25.45 लाख** हो गई है, जबकि प्राथमिक खरीदार संगठनों की संख्या **1,707 से बढ़कर 1.37 लाख** हो गई है।
    - GeM अब सार्वजनिक खरीद के पूरे जीवन-चक्र को डिजिटलीकृत करता है तथा **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** और **मशीन लर्निंग (ML)** उपकरणों का उपयोग संदिग्ध **कार्टेल निर्माण, मिलीभगत एवं ऑर्डरों को विभाजित करने** की पहचान करने के लिए करता है।

स्रोत: PIB

राष्ट्रीय युवा संसद योजना वेब पोर्टल

संदर्भ

- संसदीय कार्य मंत्रालय ने **राष्ट्रीय युवा संसद योजना वेब पोर्टल** का उन्नत संस्करण लॉन्च किया है, जिसे **NYPS 2.0** के नाम से जाना जाता है।

परिचय

- **राष्ट्रीय युवा संसद योजना (NYPS)** संसदीय कार्य मंत्रालय की एक पहल है।
- इसका उद्देश्य युवाओं में **लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय कार्यप्रणालियों और संवैधानिक जागरूकता** को बढ़ावा देना है।
- विगत संस्करण के विपरीत, जो केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्रों तक सीमित था, **NYPS 2.0** अब देशभर के सभी शैक्षणिक संस्थानों, समूहों और नागरिकों के लिए खुला है।
- **वेब पोर्टल:** संसदीय कार्य मंत्रालय ने वर्ष **2019** में NYPS का वेब पोर्टल लॉन्च किया था।
    - **उद्देश्य:** मंत्रालय के **युवा संसद कार्यक्रम** की पहुँच का विस्तार देश के सभी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों तक करना।
    - NYPS 2.0 को इस उद्देश्य से शुरू किया गया है कि देश के सभी नागरिक पोर्टल पर निम्नलिखित माध्यमों से भाग ले सकें:
        - **संस्थागत भागीदारी**
        - **समूह भागीदारी**
        - **व्यक्तिगत भागीदारी**

स्रोत: PIB

मॉडिफाइड मिक्स सील सरफेसिंग प्लस (MSS+)

समाचार में

- **CSIR-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CSIR-CRRI)** ने राजस्थान सरकार के समक्ष अपनी स्वदेशी **मॉडिफाइड मिक्स सील सरफेसिंग प्लस (MSS+) प्रौद्योगिकी** का प्रदर्शन किया। इस दौरान सतत और लागत-प्रभावी सड़क निर्माण एवं रखरखाव के लिए इसकी संभावनाओं को रेखांकित किया गया।

मॉडिफाइड मिक्स सील सरफेसिंग प्लस (MSS+)

- यह सतत सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए विकसित की गई **कम-उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकी** है।
- इसे नई दिल्ली स्थित **CSIR-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CSIR-CRRI)** द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।
- यह कस्टम बिटुमेन इमल्शन का उपयोग करते हुए पारंपरिक **हॉट मिक्स डामर** का एक लागत-प्रभावी, सतत और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प प्रदान करती है।
- इसमें एग्रीगेट्स और बाइंडरों को पहले से गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। इससे **कार्बन उत्सर्जन और समग्र निर्माण लागत में उल्लेखनीय कमी** आती है।

उपयोग के उदाहरण

- MSS+ का उत्तर प्रदेश में **100 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों** पर उत्कृष्ट क्षेत्रीय प्रदर्शन के साथ सफलतापूर्वक उपयोग किया जा चुका है।

- अब जयपुर में राजस्थान सरकार के समक्ष इसका प्रदर्शन किया जा रहा है और यह पूरे देश में **जलवायु-लचीले तथा सतत सड़क बुनियादी ढाँचे** के लिए एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में तेजी से अपनाई जा रही है।

स्रोत: PIB

2026 डिराक पदक

संदर्भ

- भारतीय भौतिक विज्ञानी **दीपक धर** को सांख्यिकीय यांत्रिकी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए **2026 डिराक पदक** से सम्मानित किया गया है।
- दीपक धर ने यह पुरस्कार **बर्नार्ड डेरिडा, मार्क मेज़ार्ड और हाइम सोमपोलिंस्की** के साथ साझा किया है।

डिराक पदक के बारे में

- **डिराक पदक** सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए **अंतरराष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र (ICTP)** द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पदक विजेताओं को **5,000 अमेरिकी डॉलर** की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाती है।
- इस पुरस्कार की स्थापना **1985** में हुई थी। विगत वर्षों में यह पुरस्कार सैद्धांतिक भौतिकी के कई प्रमुख वैज्ञानिकों से जुड़ा रहा है, जिनमें **स्टीफन हॉकिंग** भी शामिल हैं।
- डिराक पदक **नोबेल पुरस्कार, फील्ड्स पदक या वुल्फ फाउंडेशन पुरस्कार** के विजेताओं को प्रदान नहीं किया जाता है, हालांकि कई डिराक पदक विजेताओं ने बाद में इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों को प्राप्त किया है।

स्रोत: ET

■■■■

NEXT IAS हिन्दी